



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 1262]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1520(अ).—भारत सरकार के पूर्ववर्ती पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना की अनुसूची में का.आ. सं. 1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 के सामने कॉलम 2 में क्रम संख्या 14 के सामने शब्द, अंक और अक्षर संख्या 6 (किमी. 9.20 से 166.725 किमी. को छोड़कर (नागपुर-तेलेगाँव-अमरावती बाइपास) के स्थान पर संख्या 6 (किमी. 9.20 से 649.000 किमी. को छोड़कर (नागपुर-तेलेगाँव-अमरावती बाइपास-गुजरात/महाराष्ट्र बार्डर) तथा शब्द, अंक और अक्षर संख्या 13 के स्थान पर संख्या 13 (किमी 13.500 से किमी 30.340) (शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा के शोलापुर बीजापुर अनुभाग) प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एन.एच-14013/8/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पणी:—(1) मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 के तहत प्रकाशित की गई थी।

(2) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 864(अ), तारीख 01-04-2013, का.आ. 1400(अ), तारीख 31-05-2013, का.आ. 483(अ), तारीख 20-02-2014 तथा का.आ. 771(अ), तारीख 23-02-2014 के तहत संशोधित किया गया था।

(3) मूल अधिसूचना में पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1221(अ), तारीख 07-05-2014 के तहत किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1520(E).—In the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, against serial number 14, in column 2 for the word, figures and letters “No. 6 [excluding from km. 9.20 to km. 166.725 (Nagpur-Talegaon-Amravati bypass)”, the words, figures and letters “No. 6 [excluding from km. 9.20 to km. 649.000 (Nagpur-Talegaon-Amravati bypass-Gujarat/Maharashtra border)” and for the word, figures and letters “No. 13”, the words, figures and letters “No.13 [excluding from km. 13.500 to km. 30.340 (Solapur-Maharashtra/Karnataka border of Solapur-Bijapur Section)]” shall be substituted.

[F. No. NH-14013/8/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note :—(i) The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005.

(ii) The principal notification in respect of State of Maharashtra was amended *vide* notification number S.O. 864(E) dated 01.04.2013, S.O. 1400(E), dated 31.05.2013, S.O. 483(E), dated 20.02.2014 and S.O. 771(E) dated 23.02.2014.

(iii) The principal notification was last amended *vide* number S.O. 1221(E), dated the 7th May, 2014.